न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 97 / 2012 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. तेजाराम पुत्र श्री हुकमाराम जाति घांची, निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	बनाम	1.जयगोपाल वल्द भंवरलाल कौम राव निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर। 2.जसराम पुत्र हुकमाराम, जाति घांची निवासी बालोतरा 3.पेमाराम पुत्र पोकराराम, जाति घांची निवासी बालोतरा। 4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 107 / 2007 बअनवान जयगोपाल बनाम तेजाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2011 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री चेलाराम कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बाबुलाल सांखला रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 29.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत बंटवाड़े बाबत पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन प्रतिवादी संख्या 01 व 04 के तामिल सुदार प्राप्त हुए। अपीलांट / प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध दिनांक 11.09.2007 को एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दे दिया। अपीलांट रामदेवरा गया हुआ था तथा अधिवक्ता अपीलांट ने कहा कि में तुम्हारे विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही नहीं होगी। परन्तु अधिवक्ता स्वयं उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अपीलांट संख्या 01 ने दिनांक 06.11.2007 को अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना–पत्र अंर्तगत आदेश 09 नियम 07 पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्र पेश करने के 03 साल बाद अधीनस्थ न्यायालय ने एक लाईन में आदेश देते हुए बिना किसी प्रकार का न्यायोचित कारण बताए प्रार्थना–पत्र को निर्णित कर आवेदन निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब दावा व साक्ष्य सबूत पेश करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट रेवेन्यु रिकॉर्ड जमाबंदी में सहखातेदार दर्ज है इस कारण अपीलांट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जबाब दावा व सुनवाई का अवसर देना कानूनन न्यायोचित है। वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पर उक्त भूमि खरीदने के बाद कब्जा व काश्त अपीलांट का ही चला आ रहा है। रेस्पोडेंटगण का उक्त भूमि पर कोई कब्जा व काश्त आज दिन तक नहीं है तथा अकेले अपीलांट ने ही उक्त संपूर्ण भूमि का प्रतिफल का भुगतान किया है। विभाजन प्रस्ताव के लिए वादी को नोटिस नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रतिकूल जाकर पारित की गई है जो विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन प्रतिवादी संख्या 01 व 04 के तामिल सुदार प्राप्त हुए। अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध दिनांक 11.09.2007 को एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दे दिया। अपीलांट रामदेवरा गया हुआ था तथा अधिवक्ता अपीलांट ने कहा कि में तुम्हारे विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही नहीं होगी। परन्तु अधिवक्ता स्वयं उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। अपीलांट संख्या 01 ने दिनांक 06.11.2007 को अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना–पत्र अंर्तगत आदेश 09 नियम 07 पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्र पेश करने के 03 साल बाद अधीनस्थ न्यायालय ने एक लाईन में आदेश देते हुए बिना किसी प्रकार का न्यायोचित कारण बताए प्रार्थना–पत्र को निर्णित कर आवेदन निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब दावा व साक्ष्य सबूत पेश करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट रेवेन्यु रिकॉर्ड जमाबंदी में सहखातेदार दर्ज है इस कारण अपीलांट को जबाव दावा व सुनवाई का अवसर देना कानूनन न्यायोचित है। वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पर उक्त भूमि खरीदने के बाद कब्जा व काश्त अपीलांट का ही चला आ रहा है। रेस्पोडेंटगण का उक्त भूमि पर कोई कब्जा व काश्त आज दिन तक नहीं है तथा अकेले अपीलांट ने ही उक्त संपूर्ण भूमि का प्रतिफल का भुगतान किया है। विभाजन प्रस्ताव के लिए वादी को नोटिस नहीं दिया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रतिकूल जाकर पारित की गई है जो विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई जो निरस्त करवाने हेतु दिनांक 06.11.2007 को अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना–पत्र अंर्तगत आदेश 09 नियम 07 पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्र पेश करने के 03 साल बाद अधीनस्थ न्यायालय ने एक लाईन में आदेश देते हुए बिना किसी प्रकार का न्यायोचित कारण बताए प्रार्थना–पत्र को निर्णित कर आवेदन निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जबाव दावा एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया तथा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 107/2007 बअनवान जयगोपाल बनाम तेजाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2011 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस पुनः निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

29/8/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner